उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 09 चैत्र, शक संवत्, 1944

(दिनांक : 30 मार्च, 2022)

1. निधन के निदेश।

2. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखेंगे।

3. मुख्यमंत्री "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243 झ (4) अनुच्छेद 243 म (2) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पंचम राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड (पंचायतीराज एवं स्थानीय निकायें) का प्रतिवेदन तथा आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार का कार्यवाही ज्ञापन सदन के पटल पर रखेंगे।

4. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अध्यादेश, 2021 सदन के पटल पर रखेंगे।

5. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संशोधन अध्यादेश, 2022 सदन के पटल पर रखेंगे।

6. श्री अध्यक्ष माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 2005 के नियम 152 (1) के अन्तर्गत पढ़कर सुनायेंगी।

7. सचिव, विधान सभा पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 152 (2) के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक को सदन के पटल पर रखेंगे।

8. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि:-

   (1) उत्तराखण्ड चारधाम देवास्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड विनियोग (2021-22 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का सताईसवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित विधेयक 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का अठाईसवां अधिनियम बन गया।

(4) सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 जनवरी, 2022 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2022 का प्रथम अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड किरायेदारी विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2022 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2022 का द्वितीय अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अभिकरण)} (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 जनवरी, 2022 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2022 का तृतीय अधिनियम बन गया।

9. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

10. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

11. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा० अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-''क'')

12. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

13. संसदीय कार्य मंत्री निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगेः-

''मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के संगत नियमों के अधीन समिति जिसमें समिति के गठन हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्राविधान है, यथा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति समिति में कार्य करने के लिए माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है। इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।''

14. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

15. श्री मुन्ना सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं पारण :-

"यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2021 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"

श्री विनोद चमोली, सदस्य विधान सभा उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी **"ख"**)

16. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के एक भाग के लिये लेखानुदान पर चर्चा एवं मतदान।

(1) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में **रूपये 311152 हजार (रूपये इकतीस करोड़ ग्यारह लाख बावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(2) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03, मंत्रि-परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में **रूपये 328657 हजार (रूपये बत्तीस करोड़ छियासी लाख सत्तावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(3) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में **रूपये 1082217 हजार (रूपये एक सौ आठ करोड़ बाईस लाख सत्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(4) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05, निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में **रूपये 227288 हजार (रूपये बाईस करोड़ बहत्तर लाख अठ्ठासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(5) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में **रूपये 7040903 हजार (रूपये सात सौ चार करोड़ नौ लाख तीन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(6) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में **रूपये 38407603 हजार (रूपये तीन हजार आठ सौ चालीस करोड़ छिहत्तर लाख तीन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(7) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08, आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में **रूपये 134734 हजार (रूपये तेरह करोड़ सैतालीस लाख चौतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(8) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09, लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में **रूपये 74985 हजार (रूपये सात करोड़ उनचास लाख पचासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(9) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में **रूपये 7974110 हजार (रूपये सात सौ सतानवे करोड़ इकतालीस लाख दस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(10) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 34423868 हजार (रूपय तीन हजार चार सौ बयालीस करोड़ अड़तीस लाख अड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(11) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 11261369 हजार (रूपये एक हजार एक सौ छब्बीस करोड़ तेरह लाख उनहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(12) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 9388013 हजार (रूपये नौ सौ अड़तीस करोड़ अस्सी लाख तेरह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(13) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 400108 हजार (रूपये चालीस करोड़ एक लाख आठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(14) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 8012523 हजार (रूपये आठ सौ एक करोड़ पच्चीस लाख तेईस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(15) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 2229722 हजार (रूपये दो सौ बाईस करोड़ सतानवे लाख बाईस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(16) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 3824734 हजार (रूपये तीन सौ बयासी करोड़ सैंतालीस लाख चौंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(17) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 686832 हजार (रूपये अड़सठ करोड़ अड़सठ लाख बत्तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(18) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 8902115 हजार (रूपये आठ सौ नब्बे करोड़ इक्कीस लाख पन्द्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(19) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 4557297 हजार (रूपये चार सौ पचपन करोड़ बहत्तर लाख सतानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(20) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 1692488 हजार (रूपये एक सौ उनहत्तर करोड़ चौबीस लाख अठ्ठासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(21) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 7982545 हजार (रूपये सात सौ अठ्ठानवे करोड़ पच्चीस लाख पैंतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(22) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 1484267 हजार (रूपये एक सौ अड़तालीस करोड़ बयालीस लाख सड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(23) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 1234305 हजार (रूपये एक सौ तेईस करोड़ तैतालीस लाख पांच हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(24) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 2443353 हजार (रूपये दो सौ चवालीस करोड़ तैंतीस लाख तिरपन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(25) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 1206315 हजार (रूपये एक सौ बीस करोड़ तिरसठ लाख पन्द्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(26) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 4282076 हजार (रूपये चार सौ अठ्ठाईस करोड़ बीस लाख छिहतर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(27) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 पशुपालन संबंधी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 1571531 हजार (रूपये एक सौ सतावन करोड़ पन्द्रह लाख इकतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(28) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 1835912 हजार (रूपये एक सौ तिरासी करोड़ उनसठ लाख बारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(29) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 6497023 हजार (रूपये छः सौ उन्चास करोड़ सत्तर लाख तेईस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(30) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में **रूपये 1875737 हजार (रूपये एक सौ सतासी करोड़ सतावन लाख सैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

17. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

18. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करेंगे।

19. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय।

20. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2022 पारित किया जाय।

21. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 29 मार्च, 2022

(मुकेश सिंघल)
सचिव।

नत्थी "क"

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 मार्च, 2022 की बैठक में दिनांक 30 मार्च 2022 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

मार्च, 2022

30 बुधवार	1. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना। 2. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं पारण। 3. उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2022 का पुरःस्थापन, चर्चा एवं पारण।

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "ख"

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1	श्री प्रीतम सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में रोजगार की सम्भावनाओं को बढाने के लिए उत्तराखण्ड राज्य को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित किये जाने।
2. स्वच्छता अभियान के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति का निर्धारण किये जाने।
3. महिलाओं को सुरक्षित रूप से यात्रा, आधी रात में निकलने पर उन्हें कोई भय न हो इस सम्बन्ध में कोई नीति घोषित किये जाने।
4. रोजगार के अवसर बढाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने।
5. विकसित राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड को खड़ा करने के लिए अवस्थापना विकास का कोई ढांचा बनाये जाने।
6. उत्तराखण्ड की राजधानी के संबंध में कोई ठोस कदम उठाये जाने तथा राजधानी सभा आधुनिकतम व्यवस्थाओं से युक्त हो इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति घोषित किये जाने।
7. चार-धाम यात्रा पूरे वर्ष चलाने, यात्रायें सुरक्षित करने श्रद्धालुओं को सभी तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराने और प्रदेश की आर्थिकी बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
8. आपदा के दौरान जो कोई क्षेत्र बर्बाद हुए थे उन्हें पुनः बसाने के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित किये जाने।
9. आपदा के दौरान जो गांव खाली हो चुके हैं उनके पुनर्वास के संबंध में कोई नीति बनाये जाने,

10. नदियों की सफाई, नदियों के किनारे सौन्दर्यीकरण तथा नदियों के समस्त क्षेत्रों का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में कोई नीति बनाये जाने,

11. जो जल स्रोत्र सूख चुके है उनको रिचार्ज करने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने,

12. पत्रकारों को आवासीय सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कोई ठोस नीति बनाये जाने,

13. बी0पी0एल0 वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क एम0आर0आई0 तथा डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

14. विकसित राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड को खड़ा करने के लिए अवस्थापना विकास का कोई ढांचा बनाये जाने,

15. प्रदेश के नये जनपदों के गठन की कार्यवाही तत्काल किये जाने,

16. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत कालसी, साहिया, चकराता एवं त्यूनी के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने,

17. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत बिन्सौण में स्वीकृत आश्रम पद्धति विद्यालय के अधूरे भवन को तत्काल पूर्ण किये जाने,

18 जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत त्यूनी-कथियान अधूरे का बी0एम0एच0डी0बी0सी0 से डामरीकरण किये जाने,

19. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत इन्टर कालेज मुन्धौल, केराड़, खरोड़ा, बिन्सौण, काण्डोई भरम, ग्यासपुल, कोरूव एवं मुन्धान के भवनों का निर्माण किये जाने,

20. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत साहिया में स्वीकृत पालिटेक्निक में अन्य ट्रेड तत्काल प्रारम्भ किये जाने,

21. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत हनोल-त्यूनी, त्यूनी-आरोकोट, त्यूनी-प्लासू जलविद्युत परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से शुरू किये जाने,

22. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत ग्राम कोटी, ईच्छाडी में अस्पताल का निर्माण किये जाने तथा

23. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत लखवाड, पंजीटीलानी, कथियान व कुरोली में स्वीकृत आई0टी0आई0 तत्काल इसी सत्र में प्रारम्भ किये जाने।

2. मौ0 शहजाद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया हैः-

जनपद हरिद्वार के लक्सर विधान सभा की सड़कों की दयनीय स्थिति के संबंध में।

3. श्रीमती ममता राकेश

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया हैः-

1. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत मेडिकल कालेज के निर्माण के लिए धन आवटंन किये जाने,

2. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में भगवानपुर में स्वीकृत तहसील के भवन के निमार्ण हेतु धन आवटित किये जाने,

3. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में टान्सपोर्ट नगर का निर्माण किये जाने,

4. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में भगवानपुर में महिला पालिटेक्निट खोले जाने,

5. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में भगवानपुर में ग्राम वह बहलपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,

6. ग्राम अलावलपुर में इण्टर कालेज बनाये जाने,

7. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में पानी की निकासी का स्थाई समाधान किये जाने,

8. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर ग्राम चुड़ियाला मोहनपुर में स्थापित बाबू कलीराम राकेश डिग्री कालेज में स्नातकोत्तर की कक्षाओं को संचालित किये जाने,

9. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर में सी0एच0सी0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों की स्थाई रूप में नियुक्ति किये जाने,

10, जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

11. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में नवसृजित नगर पंचायत भगवापुर में कूड़ा उठाने, डस्टबीन एवं कूड़ा उठाने का वाहन उपलब्ध कराने जाने,
12. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में गौशाला खोले जाने,
13. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंग्नल समस्या को देखते हुए मोबाईल टावर लगाये जाने,
14. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा में स्व0 सुरेन्द्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण किये जाने,
15. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में डाक्टर भीम राव अम्बेडकर, संत श्री रविदास और महर्षि वाल्मिकी पार्को के सौन्दर्यकरण किये जाने,
16. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति उपयोजना धनराशि स्वीकृत कराये जाने व उसका उपयोग अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में किये जाने,
17. राज्य विधवा महिलाओं का उपचार निःशुल्क किये जाने,
18. राज्य में विधवा महिलाओं के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में आय प्रमाण की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने,
19. राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में आय के मानक 6000 किये जाने,
20. राज्य में प्ररित्याकता योजना में अनाथ/बेसहारा बच्चे जो विस्तारित कुटुम्ब के साथ रह रहे हैं, अशक्त तथा गम्भीर रोग के ग्रसित सजायाफता माता-पिता की सन्तान, विधवा /तलकाशुदा स्त्री, परित्यकता,कुटुम्ब द्वारा परित्यक्त महिलाओं के बालक/बालिकाओं को आर्थिक सहायता के रूप शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु दो हजार रूप्ये प्रतिमाह में बच्चों के आय मानक समाप्त किये जाने,
21. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में शमशान घाट एवं कब्रिस्तान की चाहरदीवारी तथा प्रत्येक श्मशान घाट में छत्री व कब्रिस्तान में जनाजा कक्ष तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध किये जाने,

22. शमशान घाटों का सौन्दयीकरण किये जाने,
23. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में एक वाटर ए0टी0एम0 लगाये जाने,
24. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा के प्रत्येक प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में पर्याप्त भवन, शौचालय बालक व बालिका व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने,
25. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी क्षतिग्रस्त मार्गो का पुनर्निर्माण किये जाने,
26. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा के 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति के ग्रामों का चयन किये जाने,
27. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गरीब परिवारों एवं किसानों का बिजली बिल माफ किये जाने,
28. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त समस्त पुलिया का पुनर्निर्माण बरसात के पहले अतिशीघ्र कराये जाने,
29. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में चिकनगुनियां ,डेंगू एवं मच्छरों से निजात पाने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने,
30. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में बालिका आवासीय विघालय खोले जाने तथा वर्किंग वुमैन के लिए हास्टल का निर्माण कराये जाने,
31. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में योग केन्द्र खोले जाने,
32. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने,
33. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में खेल के मैदान का निर्माण कराये जाने,
34. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में अन्तर्गत तालाबों को सौर्न्दयकरण एवं चारों और रैलिंग की व्यवस्था कराये जाने,
35. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज छापुर शेर अफगानपुर में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने,

36. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सभी गांव में सरकारी सेवाओं की तैयारियों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेण्टरों की स्थापना किये जाने,
37. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए आने-जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्राा कराये जाने,
38. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि एवं दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त किसानों की फसलों का मुआवजा दिये जाने,
39. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु नलकूपों का निर्माण एवं रिबोर किये जाने,
40. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आन्तरिक मार्गो की मरम्मत एवं जल निकासी के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाये जाने,
41. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इंजीनियरिंग एवं बी0एससी0 के अन्तर्गत जाति अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को लैपटाप उपलब्ध कराये जाने,
42. भगवानपुर ओधौगिक क्षेत्र में महिला हास्टल का निर्माण किये जाने,
44. भगवानपुर में जग जीवन क्षेत्र बाबू में आवासीय हास्टल का निर्माण किये जाने।

4. श्री यशपाल आर्य

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया हैः-

1. राज्य के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के चिकित्सालयों में स्पेशलिस्ट डाक्टरों की तैनाती किये जाने,
2. सरकारी विभागों में एस0सी0, एस0टी0 एवं ओ0बी0सी0 के पदों को बैकलाग से भरे जाने,
3. प्रदेश के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं के सभी रिक्त पदों की तैनाती किये जाने,
4. प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं निर्धन छात्र-छात्राओं हेतु हास्टल निर्मित किये जाने,
5. राजस्थान सरकार की भांति उत्तराखण्ड प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल किये जाने,

6. प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ब्लाक स्तर पर ऐम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराये जाने,
7. प्रदेश के पुलिस कर्मियों को रु 4600/- ग्रेड पे उपलब्ध कराये जाने,
8. बाजपुर चीनी मिल का शीघ्र आधुनिकीकरण तथा इसकी सह ईकाई आसवनी में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का मल्टीपरपज ऐथेनाल प्लांट एवं विद्युत उत्पादन हेतु चीनी मिल में स्वीकृत को-जेनरेशन प्लांट स्थापित किये जाने,
9. बाजपुर नर्सिंग कालेज में शीघ्र प्रवक्ताओं एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर पठन-पाठन कार्य आगामी सत्र से ही प्रारम्भ किये जाने।
10. आदिम जनजाति बुक्सा के बच्चों के कल्याण के लिए स्वीकृत किये गये एक्लव्य आवासीय विघालय के भवन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को अवमुक्त किये जाने।

5. श्री आदेश सिंह चौहान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया हैः-

1. जसपुर में रोडवेज बस स्टैण्ड की स्थापना किये जाने,
2. जसपुर नगर पालिका का ट्रंचिग ग्राउन्ड बनाये जाने,
3. नादेही शुगर मिल का नवीनीकरण तथा एथेनाल प्लांट की स्थापना किये जाने,
4. जसपुर में पालिटेक्निक कालेज की स्थापना किये जाने,
5. नगर पालिका जसपुर में स्टेडियम तथा ग्राम करनपुर में मिनी स्टेडियन की स्थापना किये जाने,
6. ग्राम हजीरो में फीका नदी पर पुल का निर्माण किये जाने,
7. तीरथनगर डाम क्षेत्र में राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,
8. ग्राम किशनपुर में फीका नदी का तटबन्ध और ग्राम बैतवाला व बगवाड़ा में ढेला नदी का तटबन्ध बनाये जाने,
9. जसपुर में एन0एच0 से एम0पी0 सिंह नर्सिंग होम के सामने नगर की सड़क का निर्माण किये जाने,
10. जिम कार्बेट पार्क का एक आवागमन द्वारा जसपुर से पमरामपुर रेन्ज खोले जाने,
11. जसपुर में तीरथनगर मंदिर हिडिम्बा देवी मंदिर और तुमड़िया डाम का सान्दर्यीकरण किये जाने,
12. जसपुर विधान सभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण किये जाने,

13. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में अधूरे तहसील भवन को पूर्ण किये जाने,

14. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में उप-जिलाधिकारी भवन निर्माण किया जाय।

15. जसपुर विधान सभा क्षेत्र सरकारी स्कूलों के क्षतिग्रस्त भवनों को निर्माण किये जाने।

16. जसपुर नगर पालिका में सीवर लाईन की व्यवस्था किये जाने।

17. जसपुर नगर पालिका में पेयजल व्यवस्था को ठीक किये जाने व पेयजल व्यवस्था का द्वितीय फेज आरम्भ किये जाने तथा।

18. विधान सभा क्षेत्र जसपुर के ग्राम सीपका वासियों को उनकी कृषि भूमि पर मालिकाना हक दिये जाने।

6. श्री सुमित हृदयेश

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया हैः-

1. हल्द्वानी को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिये तथा पर्यटन व रोजगार स्थापित हों इसके लिये पूर्व में स्व0 डा0 इन्दिरा हृदयेश जी द्वारा स्वीकृत अतंराज्यीय बस अडडे व अतंराष्ट्रीय स्तर के चिड़ियाघर का कार्य पुनः आरम्भ कराने साथ ही राष्ट्रीय, अतंराष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराने, जिससे कि यहां की युवा प्रतिभाओं को परोक्ष व अपरोक्ष रूप से आगे बढने का मौका मिल सके तथा आयोजनों के माध्यम से रोजगार के अवसर दिये जाने,

2. स्मैक मुक्त हल्द्वानी पर युद्धस्तरीय कार्य किये जाने,

3. स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क जांच एवं बहुउद्देशीय कैम्प लगाये जाने।

4. नजुल नीति के क्रियान्वयन का सरलीकरण किये जाने, जिससे कि आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके,

5. सुशीला तिवारी अस्पताल को एम्स की तर्ज पर उच्चीकृत कराने तथा अस्पताल के समीप तीमारदारों व रोगियों के लिये विश्रामालय का निर्माण कराये जाने,

6. हल्द्वानी की यातायात व्यवस्था का सुव्यवस्थित करने के लिये तथा जाम से निजात पाने के लिये धरातलीय योजना का निर्माण कराये जाने,

7. तहसील परिसर में बहुउद्देशीय भवन, जिसमें तहसील, ट्रेजरी एवं अन्य सरकारी दफ्तरों की स्थापना तथा व्यवसायिक भवन व अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराये जाने,

8. बाजार क्षेत्र में मातृ शक्ति एवं व्यापारियों की सुविधा के लिये अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित (हाईटैक) शौचालय एवं छोटी पार्किंगों की व्यवस्था कराये जाने,

9. बरसाती नाले से जान-माल की सुरक्षा हेतु उचित कार्य कराये जाने,

10. बेरोजगारों तथा कर्मचारियों/आउटसोर्स की लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने।

11. सभी सरकारी विद्यालयों व महाविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता के लिये विद्यालय भवनों का सुद्धढ़ीकरण करने तथा रोजगारपरक शिक्षा प्रदान कराने महाविद्यालयों में कैम्पस इंटरव्यू के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने,

12. दमुवाढूंगा वासियों की भूमि का नियमित कर एवं श्रमिक एवं मलिन बस्तियों- काठगोदाम, राजेन्द्र नगर, आजाद नगर का मालिकाना हक एवं इन बस्तियों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र तथा विद्यालयों का उच्चीकरण कराये जाने,

13. भवननिर्माण की दरों को सस्ता करने के लिए गौला से निकलने वाले खनिज की रायल्टी को न्यूनतम दर तक लाने, जिससे कि गौला से जुड़े कारोबारियों को भी व्यवसाय करने में सुविधा मिल सके।

7. श्री भुवन कापड़ी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. सीमांत विधान सभा में सरकारी भूमि में निवासरत लोगों की पूर्वजों द्वारा मेहनत कर बंजर भूमि को कृषि योग्य एवं आवास योग्य बनाया गया है जिससे उक्त भूमि सदुपयोग हो सकी ऐसे उक्त सरकारी भूमि पर निवासरत/कब्जा धारकों को भूमि मालिकाना हक दिये जाने,

2. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा पुरानी तहसील परिषद में बाबा साहब डां0भीमराव अम्बेडकर जन कल्याण समिति खटीमा को भूमि का आवंटन किया गया था जिसको बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया गया। उक्त भूमि आवंटन पुनः बाबा साहब डां0भीमराव अम्बेडकर जन समिति कल्याण को किये जाने।

3. उत्तराखण्ड की भौगोलिक सीमाओं को अन्दर निवासरत ऐसे परिवार को जो कि उत्तराखण्ड बनाने के समय से स्थायी रूप से निवासरत है। जो जाति प्रमाण पत्र कट आफ डेट में छूट प्रदान कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था तत्काल प्रभावी किये जाने।

4. उत्तराखण्ड में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा गैस सिलेण्डर, पेट्रोल, डीजल पर सबसिटी प्रदान की जाये जाने उत्तराखण्ड के लोगों को कम दामों पर गैस सिलेण्डर, पेट्रोल, डीजल मिल सके,
5. राशन कार्ड आनलाईन होने की दिक्कतों के कारण अनेक परिवारों के पुराने राशन कार्ड आनलाईन नहीं हो पाये है। उक्त पुराने राशन कार्ड धारकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुचारू किये जाने।
6. 70 खटीमा विधान सभा अनुसूचित जाति/अनु0जन बाहुल्य विधान सभा है और उसके साथ-साथ सीमांत विधान सभा होने के कारण 70 खटीमा में अनुसूचित जन जाति विकास, अनु0जन0जाति विकास एवं बार्डर डब्लेपमेन्ट योजन के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था कर विकास कार्यों प्रारम्भ किये जाने।
7. सक्रिय राज्य आन्दोलन कार्यो चिन्हीकरण के दौरान लम्बित 254 आन्दोलन कार्यों को तत्काल परिचय पत्र जारी कर उनको पेंशन की सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने।
8. ग्राम बग्धा-54 को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने।
9. अल्पसंख्यक भौगोलिक क्षेत्रों में अल्पसंख्यक कल्याण नीति से विकास कार्य करवाये जाने।
10. महाविद्यालय खटीमा विभिन्न विषयों पर सीटें बढ़ाई जाय एवं महाविद्यालय में पूर्व की भाति प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था को लागू किये जाने जिससे कि गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके।
11. खटीमा विधान सभा के अन्तर्गत सरकारी गेहू तोल केन्द्रों पर तोल प्रारम्भ कार्यवाही करवाई जाने एवं तोल केन्द्रों पर सी0सी0टी0कैमरों की व्यवस्था एवं किसानों की फसल के मूल्य का भुगतान 02 दिन के अन्तर्गत दिया जाना सुनिश्चित किये जाने।
12. किसानों को गन्ने के बकाया पैसों का तत्काल भुगतान किये जाने।
13. गौशाला के निर्माण तत्काल पूर्ण करवाये जाने जिससे कि किसानों की फसल बर्बाद होने से बच सकें।
14. अघोषित विद्युत कटौती की तत्काल बंद कर बिजली के दामों को कम किये जाने जिससे उत्तराखण्ड में निवासरत लोगों को राहत मिल सके।
15. राजकीय पौलीटैक्नीक खटीमा विषय की सीटें बढाई जाये।
16. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्ग में पुनः निर्माण/निर्माण कराये जाने।

17. नगरीय क्षेत्र में आवादी के मध्य गुजर रही हाईटेंशन लेनों को मैन रोड़ों पर स्थानान्तरण किये जाने एवं गलियों में छोटा ट्रांसफार्मर लगा कर विद्युत आपूर्ति किये जाने।
18. नगर खटीमा के लीज नवीनीकरण/लीज दाखिल खारिज लीज विरासतन की प्रक्रिया सरलीकरण किया जाय एवं लीज संबंधी समस्त प्रकार के कार्यों उपस्थिति उप जिलाधिकारी स्तर पर की पूर्ण कराई जाये,
19. खटीमा शहर में सीवर लाईन का निर्माण कार्य कराया जाय,
20. राजकीय महाविद्यालय खटीमा में रोजगारपरक विषयों को प्रारम्भ किये जाने,
21. नगरपालिका परिषद खटीमा के अन्तर्गत जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्ग में पुनः निर्माण/निर्माण कराये जाने,
22. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत नलकूपों की स्थापना किये जाने,
23. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत 2000 हैण्ड पम्पों को लगवाये जाने,
24. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत महिलाओं के लिए पालिटैक्निक खोले जाये,
25. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत बाढ़ से बचाव के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर तत्काल कार्य प्रभाव प्रारम्भ करवाये जाने,
26. नगर पालिका परिषद को कुडा कलैक्शन के लिए 20 छोटे वाहन उपलब्ध कराये जाने,
27. नगर खटीमा में टचिंग ग्राउण्ड को तत्काल प्रारम्भ कराये जाने,
28. कूड़े के निस्तारण के लिए रिसाईकलिंग प्लान्ट लगाये जाने,
29. खटीमा के गरीब वर्ग के अनु0जाति,/अनु0जनजाति/सामान्य वर्ग/पि0जाति के गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग खुलवाई जाने।
30. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत व खत्तों वन में रहने वाले परिवार का पुर्नवास कर उनके लिए आवास फ्री षिक्षा व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलवाये जाने।
31. शहर खटीमा में प्रत्येक घर में निशुल्क जल संयोजन दिलवाये जाने।
32. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत मच्छरों के प्रकोप चिकनगुनिया डेंगू मच्छरेां से निजात पाने के लिए उचित कार्यवाही किये जाने।
33. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में लम्बित निर्माण कार्य विकास कार्यो को तत्काल पूर्ण करवाये जाने के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष को निर्देशित कर कार्य को तत्काल पूर्ण करने का आदेश किये जाने,

34. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भर जाने,
35. विधान सभा खटीमा के जिला स्तर के विभिन्न कार्यों में प्रत्येक सप्ताह खटीमा में कैम्प लगाकर पूर्ण करवाये जाने,
36. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत दूरस्थ ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में तत्काल ए0एन0एम0 सेन्टर खोले जाने,
37. राज्य में विधवा/वृद्धा/विकलांग पेंशन के लिए आय का का मानक 4000 से बढाकर 6000 रूपये किये जाने,
38. विधान सभा खटीमा के स्थित बाढ़ के समय के बढते जलस्तर को रोकने व मिट्टी कटान को राकने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाये जाकर कार्य प्रारम्भ किये जाने,
39. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत स्थित मंदिरों की चार दीवारी एवं मंदिरों में सौन्दर्यकरण किये जाने,
40. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत सितारगंज रोड़ से जरासू प्रतापपुर जाने वाली मैन रोड का नाम गुरू तेगबहादुर रखे जाने हेतु संबंधित विभाग को कार्यवाही करने के लिए प्रस्ताव मागा जाए। एवं रोड़ का नाम गुरूतेगबहादुर रोड़ रखे जाने,
41. नगर सीमा के अन्दर निवासरत भूतपूर्व सैनिक शहीद उत्तराखण्ड आन्दोलन के परिजन सहित सैनिक राज्य आन्दोलनकारी के परिवार पर लगने वाले गृह कर पूर्णतया समाप्त किये जाने,
42. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत स्थित रा0प्रा0वि0 एवं विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों को रिक्त पद एवं उक्त विद्यालयों में शौचालयों में पीने के लिए स्वच्छ पानी आदि की व्यवस्था कर प्रत्येक विद्यालय में प्राप्त भवनों का निर्माण करवाये जाने,
43. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत गरीब परिवारों का बिजली का बिल माफ किये जाने,
44. नागरिक चिकित्सालय खटीमा में पार्किंग शुल्क समाप्त किये जाने,
45. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत पहैनिया टोल प्लाजा खटीमा के लोगों को टोल फ्री में मुक्त किये जाने,
46. विधान सभा खटीमा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सीडी पर ऋण उपलब्ध कराये जाने,
47. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के नाम पर उनके गांव की रोड़ का नाम उनके नाम पर रखे जाकर उक्त गांव में विशेष कार्ययोजना बनाकर विकास कार्य करवाये जाने,
48. माँ पूर्णागिरी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिये रैन बसेरे का निर्माण करवाये जाने।

49. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत आगनबाडी भवनों का निर्माण करवाये जाने,

50. वन चेतना मैदान में स्वीकृति स्टेडियम को तत्काल प्रारम्भ किये जाने,

51. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत भारतीय सेना की तैयारी कर रहे युवकों के लिए न्याय पंचायत स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण करवाये जाने,

52. विधान सभा खटीमा में केन्द्रपोषित जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रारम्भ करवाये जाने।

8. श्री फुरकान अहमद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया हैः-

1. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर में पुरानी गंगनहर के पुल जो क्षतिग्रस्त है, उसको मरम्मत कराकर ठीक कराये जाने,

2. जनपद हरिद्वार के पाउली गुज्जर तेलीवाला के पास रेलवे पुल का निर्माण कराये जाने,

3. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर विधान सभा या मेहवड़ में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

4. जनपद हरिद्वार के पिरानकलियर नगरपंचायत में पानी की टंकी व पाईप लाईन का निर्माण कराये जाने,

5. जनपद हरिद्वार के रामपुर व पाउली गुज्जर तेलीवाला योजना के अन्तर्गत पेयजल का टैंक व पाईप लाईन व सीवर का सीवर का निर्माण किये जाने,

6. प्रदेश के किसानों के कर्ज माफ किये जाने,

7. प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान किये जाने,

8. जनपद हरिद्वार पिरान कलियर विधान सभा में हलवेड़ी तिराहे के सामने से रूड़की बाईपास हरिद्वार रोड़ पर रतमवउ नदी पर सड़क एवं सेतु का निर्माण किये जाने,

9. जनपद हरिद्वार के पिरानकलियर विधान सभा में हकीमपुर तुरी से पुहाना ईकबालपुर की ओर सौलानी नदी पर सेतु एवं सड़क का निर्माण किये जाने,

10. मदरसा बोर्ड से प्राप्त मदरसे को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने,

11. जनपद हरिद्वार पिरान कलियर शरीफ को पांचवे धाम के रूप में घोषित किये जाने,

12. जनपद हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पिरान कलियर में सीवर लाईन बनाये जाने,
13. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर शरीफ के वासिक मेले को सरकारी मेले घोषित किये जाने,
14. राज्य के सभी मुस्लिम एवं ईसाइयों के कब्रिस्तान व शमशान घाट की चारदीवारी का निर्माण किये जाने,
15. जनपद हरिद्वार के नदियों जैसे सौलानी नदी, रतमवउ आदी नदियों के किनारे पैचिंग, तटबन्ध निर्माण किये जाने,
16. जनपद हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध पिरानकलियर में बंद पड़ी नहर धनौरी से रुड़की तक नौकाविहार एवं कृत्रिम झील का निर्माण किये जाने,
17. जनपद हरिद्वार रुड़की में अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किये जाने,
18. विधान सभा पिरान कलियर व पिरान कलियर नगर पंचायत की बिजली कटौती बंद किये जाने,
19. पिरान कलियर विधान सभा के सभी गाँवों में पानी की टंकी व टैंक निर्माण कराये जाने,
20. पिरान कलियर विधान सभा में 1000 नये हैण्ड पम्प लगाये जाने,
21. किसानों के गन्ने के मूल्य रू0 500 प्रति कुन्तल किये जाने,
22. पिरानकलियर विधान सभा के मगरूमपुर-मुस्तफाबाद में पालिटैक्निक खोले जाने,
23. पिरान कलियर विधान सभा भारापुर में बिजलीघर बनाये जाने,
24. पिरान कलियर नगर पंचायत में डिग्री कालेज खोले जाने,
25. पिरान कलियर विधान सभा ईमलीखेड़ा में रा0क0इ0कालेज खोले जाने,
26. पिरान कलियर विधान सभा के राज्य योजना के लम्बित पड़े सभी मामलों में शीघ्र शासनादेश जारी किये जाने।

9. श्री विरेन्द्र कुमार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. महंगाई कम करने हेतु डीजल, पेट्रोल पर तय कर कम किये जाने,
2. प्रदेश में स्थापित उद्योगों में स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार देना सुनिश्चित करने,
3. अनु0जाति/अनु0जनजाति/ओ0बी0सी0 की सरकारी सेवाओं में बैक लाग की पूर्ति सुनिश्चित करने,

4. सम्पूर्ण राज्य में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति किये जाने,
5. प्रदेश में पंजाबी, गढ़वाली, कुमाऊनी, उर्दू, संस्कृत इत्यादि भाषाओं की पृथक-पृथक एकेडमी का गठन किया जाने,
6. प्रदेष के सभी बेरोजगारों को यथाशीघ्र योग्यतानुसार रोजगार दिया जाने,
7. प्रदेश के सभी बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देना सुनिश्चित करने,
8. प्रदेश के कैंसर से ग्रस्त सभी मरीजों का राज्य सरकार द्वारा मुफ्त ईलाज किये जाने,
9. झबरेड़ा विधान सभा में सुचारू विद्युत वितरण हेतु बिजली घरों का आधुनिक रूप से उच्चीकरण किये जाने,
10. झबरेड़ा विधान सभा में गरीब बच्चों हेतु उच्चीकृत आवासीय विद्यालय बनाये जाने,
11. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र कृष्णानगर में जल निकासी सुनिश्चित किये जाने,
12. उत्तर प्रदेश बार्डर से झबरेड़ा, मंगलौर मार्ग का निर्माण व चौड़ीकरण किया जाना सुनिश्चित किये जाने,
13. झबरेड़ा विधान सभा में गन्ना शोध केन्द्र बनाया जाना सुनिश्चित किये जाने,
14. गन्ना किसानों के बकाया भुगतान दिलवाने सुनिश्चित किये जाने,
15. ईकबालपुर फाटक पर ओबरब्रिज बनवाना सुनिश्चित किये जाने,
16. प्रदेश के किसानों को यूरिया व अन्य उर्वरक सामाग्री प्रदान किये जाने,
17. ईबालपुर से खेताखेडी कमेलपुर रूड़की मार्ग का चौड़ीकरण व नव निर्माण कराये जाने,
18. झबरेड़ा विधान सभा में रोड़वेज बसों का संचालन सुचारू किये जाने,
19. झबरेड़ा विधान सभा के कस्बा झबरेड़ा में मिनी स्टेडियम व पन्याला में मिनी स्टेडियम बनाये जाने,
20. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत झबरेड़ा में रोड़वेज बस अड्डा बनाये जाने,
21. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बन्दरों के प्रकोप से जनता को हो रही परेशानियों के लिए उपाय किये जाने,

22. प्रदेश के वनों में आग लगने से रोकने हेतु प्रभावी एवं ठोस कदम उठाये जाने,

23. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत अस्पतालों का उच्चीकरण किये जाने,

24. विधान सभा झबरेड़ा में राजकीय तकनीकी महाविद्यालय बनवाये जाने,

25. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को पूर्ण कराये जाने,

26. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में व्यायामशाला खुलवाये जाने,

27. झबरेड़ा विधान सभा की सभी खराब मोटर मार्गों का डामरीकरण एवं नवीनीकरण करवाये जाने।

10. श्री हरीश सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया हैः-

1. धापा से सांईपोलो, गिनीबैण्ड से गिनीगांव, जोशा से गांधी नगर, वल्थी से बाता उम डांडा, वमन गांव से सेमली, खुलीबैण्ड से सरमोला, बांसबगड़ से पोरथी, क्वीटी से मोहरम, सेलचामी से जरथी, सेलमाली से एस0सी0 बस्ती दाखिम कुरवा, सेरा से सिलिंग खरतोली, दारमा से आलम, भवानी से घरोड़ी मनकोट, चामी से मेतली कनार, लुमती से मल्ला लुमती, बरमबोगई से पातल, बलवाकोट से पोखरी, बलवाकोट से कांडा, बलवाकोट से थोड़ालेक, गलाती से कटौचिया, दरतेजम से यलदौंग, नारायण आश्रम से पस्ती, सिरदांग से रूंग, नापड़ से नौड़ा सड़कों का निर्माण किये जाने,

2. राजकीय इंटर कालेज डोर, नाचनी, बगीचाबगड़, जोषा, उछेती, विरथी, पन्द्रपाला, बांसबगड़, मुनस्यारी, खतेड़ा, भैंसकोट के भवन निर्माण किये जाने,

3. बालिका इंटर कालेज, नमजला, धारचूला, बीनाधार के भवन निर्माण किये जाने,

4. इंटर कालेज पय्यापोडी, स्याकुरी, खेत, जयकोट, मातम कैलाश, पंगला, पांगू का भवन निर्माण किये जाने,

5. माध्यमिक विद्यालय दर का निर्माण किये जाने,

6. जूनियर हाईस्कूल नामिक के भवन निर्माण किये जाने,

7. तहसील भवन बंगापानी, तेजम के भवन निर्माण किये जाने।

8. पं0 नैन सिंह, बलाती साहसिक पर्यटन भवन के अधूरे भवन का निर्माण कार्य किये जाने,

9. मुनस्यारी से खलियाटाप रोपवे का निर्माण किया जाने,

10. ओम पर्वत से आदि कैलाश, होकरा देवी, भराड़ी और छिपला कोट को चारधाम योजना के तहत जोड़े जाने,

11. ओम पर्वत से आदि कैलाश, छिपला कोट, होकरा देवी, भराड़ी में पैदल रास्तों में पेयजल व्यवस्था, यात्री हट के निर्माण किये जाने,

12. आदि कैलाश, छिपला कोट, होकरा देवी एवं भराड़ी में नमामि गंगे की तर्ज पर स्नान घाटों का निर्माण किये जाने,

13. दारमा, चौदास, व्यास मल्ला जौहार व रालम क्षेत्र को पैदल, पेयजल, व मोबाईल सेवा से जोड़े जाने उक्त में छः माह राशन सरकारी रेट पर अवमुक्त करने एवं छः माह निःशुल्क हैली सेवा उपलब्ध कराये जाने,

14. धारचूला मुनस्यारी के समस्त विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने एवं प्रदेश के समस्त विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर एस0एस0बी0 प्रशिक्षित गोरिल्लाओं को नियुक्ति दिये जाने,

15. पशु चिकित्सालय केन्द्रों में पशु एवं पशुधन अधिकारी की नियुक्ति किया जाने,

16. विधानसभा धारचूला के समस्त अस्पतालों में चिकित्सक (पुरूष/महिला), फार्मासिस्ट, ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 की नियुक्ति किये जाने,

17. विधान सभा धारचूला के समस्त क्षेत्रों को मोबाईल नेटवर्क से जोड़े जाने,

18. बंगापानी व तेजम तहसील में स्थाई तहसीलदारों की नियुक्ति किये जाने,

19. धारचूला, मुनस्यारी के समस्त गांवों में पेयजल की व्यवस्था दुरूस्त किये जाने,

20. तल्ला छारछूम से मल्ला छारछूम, चामी, लुंग्ती, छोड़ीबगड़, शेराघाट, मदकोट, सिरमोला, नाचनी, तेजम, बांसबगड़, दानीबगड़, बिखोरिया, धारचूला टाउन में आर्मी कैम्प में तटबन्ध निर्माण किये जाने,

21. मुनस्यारी के खलियाटाप में औली की तर्ज पर स्केटिंग को बढ़ाया देने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने,

22. दारमा क्षेत्र के पंचाचुली बेस कैम्प में होम स्टे योजना आरम्भ किये जाने,

23. वर्ष 2018-19 की आपदा से क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा व पुनर्निर्माण कार्य किये जाने,

24. लम्बित विद्युत परियोजना, एन0एच0पी0सी0, टी0एच0डी0सी0, एन0टी0पी0सी0 को पूर्ण किये जाने,

25. धारचूला के दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों को अतिरिक्त हाई एल्टिट्यूट भत्ता एवं उनके परिजनों को शहरी क्षेत्र में आवास सुविधा प्रदान किये जाने,

26. गूंजी, दारमा, चौदास, रालम, चौहान क्षेत्र में नियुक्त पुलिस के जवानों को सेना की तरह अतिरिक्त भत्ते दिये जाने,

27. मुनस्यारी में मिनी टैक्सटाइल पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,

28. नगर पालिका धारचूला में ग्वाल गांव को सीवर लाईन से जोड़े जाने,

29. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पोखरी सड़क का निर्माण किये जाने,

30. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में कांडा बलुवाकोट सड़क का निर्माण किये जाने,

31. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट भोड़ा लेक सड़क का निर्माण किये जाने,

32. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में धारचूला से राँभी सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,

33. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट पय्यापौड़ी सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,

34. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में कन्जोती से सुवा तक सड़क का निर्माण किये जाने,

35. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम से पस्ती तक सड़क का निर्माण किये जाने,

36. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बरम से कनार तक सड़क का निर्माण किये जाने,

37. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में चामी, मेतली, खेतीखान, देवलेख, थरपप्टा सड़कों के निर्माण किये जाने,

38. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में लुमती से धरूड़ी मनकोट, बथोला तक सड़क का निर्माण किये जाने,

39. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सैरा से सिंलिग खड़तोली सड़क का निर्माण किये जाने,

40. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में आलम दारमा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

41. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भवानी से मदरपा होते हुए धामी गांव तक सड़क का निर्माण किये जाने,

42. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सेराघात से गोल्फा बोना मोटर मार्ग में पुलों के निर्माण किये जाने,

43. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में दानीबगड़ में टांगा, भिकरिया के लिए पुलों का निर्माण किये जाने,

44. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में फापा से उच्छैती तक सड़क निर्माण किये जाने,

45. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में उच्छैती से ढिमढिमिया मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

46. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में क्वीरीथिमिपा साईपोलो, साईधुत तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

47. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

48. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बल्थी से वाता उमडाणा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

49. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में मदकोट से रोपाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

50. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में रिंपू ग्राम सधा में ओखली और स्पलतिंग सड़क का निर्माण कार्य किये जाने,

51. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में मानीटुण्डी में आंतरिक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

52. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भदेली से मल्ला भदेली सड़क मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

53. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में चौना मालपाती भराड़ी मंदिर पापड़ी मोटर मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

54. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में गिनीबैण्ड से गिनीगांव सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

55. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बिरथी से दाफा सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

56. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सैरणामी से बरथी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

57. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में क्वीटी से सैमली सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

58. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में डोर से रूइसपाता सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

59. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में तेजम से नोटागांव सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
60. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भैसकोट से छोतगाड़ी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
61. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भैसकोट से दुधधड़ तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
62. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भैंसकोट से बसानी तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
63. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में तोला भैंसकोट से तल्ला भैंसकोट तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
64. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में राया बफेता सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
65. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सेलमाली से कुरवा तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
66. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सीड़ीचामा क्षेत्र में आंतरिक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
67. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में लीती से नामिक सड़क व पुल निर्माण कार्य किये जाने,
68. विधान सभा क्षेत्र धारचूला के तहसील धारचूला, तहसील बंगापानी, तहसील मुनस्यारी तहसील तेजम के समस्त आपदा प्रभावितों के लिए राहत राशि व पुनर्वास की व्यवस्था किये जाने,
69. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सामु0स्वा0 केन्द्रों में चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति किये जाने,
70. विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने,
71. विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विद्यालयों के भवन निर्माण किये जाने हेतु धन की व्यवस्था किये जाने,
72. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पेयजल की सुचारू व्यवस्था किये जाने,
73. पर्यटक क्षेत्र धारचूला के पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,
74. आदि कैलाश तथा ओम पर्वत जैसे आस्था के केन्द्रों हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,
75. आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,

76. प्रसिद्ध आलू उत्पादक क्षेत्र (बंगातीफार्म) के लिए धनराशि की व्यवस्था किये जाने,

77. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में माईग्रेट ग्राम क्षेत्र रालम के लिए पैदल रास्ते व पुल निर्माण किये जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,

78. नेटवर्क से वंचित समस्त विधान सभा क्षेत्र को नेटवर्क से जोड़ने हेतु धन की व्यवस्था किये जाने,

79. जाराजिबली से मेतली मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

80. बलुवाकोट से थौड़ालेख मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

81. मुनस्यारी में पूर्ववर्ती सरकार में निर्माणाधीन मिनी टैक्सटाईल पार्क का निर्माण किये जाने,

82. मुनस्यारी में हाईट्यूट पं0 नैन सिंह कालेज का निर्माण किये जाने,

83. मुनस्यारी में इंटर कालेज तथा महाविद्यालयों में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

84. तल्ला जौहार में तेजम हास्पिटल का निर्माण किये जाने,

85. तल्ला जौहार में तहसील भवन का निर्माण किये जाने,

86. तल्ला जौहार में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

87. बांसबगड़ में सामु0स्वा0 केन्द्र का निर्माण किये जाने,

88. कालिका में क्रीड़ा स्थल का निर्माण किये जाने,

89. धारचूला इंटर कालेज में हैलीपैड व स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

90. धारचूला राठी के सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,

91. तेजम में क्रीड़ा स्थल का निर्माण किये जाने,

92. बांसबगड़ में क्रीड़ा स्थल का निर्माण किये जाने,

93. धामी गांव से बंगापानी तक सड़क निर्माण किये जाने,

94. छारमाघाटी से सेला, चल, बौना, बाऊनी, गो, मारछौ, छीपू को सड़क से जोड़ने का कार्य किये जाने,

95. व्यासघाटी में रौंग-फौंग को सड़क से जोड़ने का कार्य किये जाने,

96. धार्मिक स्थल आदि कैलाष में पार्वती सरोवर और गौरीकुण्ड का सौन्दर्यीकरण का कार्य किये जाने,

97. ओम पर्वत दर्शन हेतु मार्ग निर्माण किये जाने,

98. होकरा में मंदिर स्थल सौन्दर्यीकरण का कार्य किये जाने,

99. धारचूला में ग्लाती से धार्मिक स्थल छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

100. स्यारकुटी से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,,

101. गलाती से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,,

102. कनार से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,,

103. जाराजिबली से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,,

104. खेतजम्कू से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

105. खड़तोली से श्रद्धालुओं हेतु इन उक्त समस्त गांवों में पैदल मार्ग, पेयजल की व्यवस्था एवं यात्री टिन शेड का निर्माण कार्य किये जाने,,

106. बिरथी गिरगांव, गिनी, ला झेकला, सैढ़राथी, किमखेत, बाला के समस्त श्रद्धालुओं हेतु नन्दा कुंड तक पैदल पथ, यात्री षेड एवं पेयजल की व्यवस्था का कार्य किये जाने,,

107. सैमली, रूसपट्टा, बोरागांव, होकरा से जर्थी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,,

108. कुलडौरी से रूसपट्टा तक तटबन्ध एवं सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

109. बंगापानी में तहसील भवन एवं स्टेडियम का निर्माण कार्य किये जाने,

110. राथी बौड़ागांव सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

111. आपदा प्रभावितों परिवार जो कि एक ही घर में कई परिवार गुजर-बसर कर रहे थे को पृथक-पृथक पुनर्वासित किये जाने,

112. नामिक में स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किये जाने,

113. नामिक, मल्ला जौहार, कनार, दारमा, चौदान, व्यास, नामिक, रालम जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के समय निःषुल्क हैली सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु,

114. सुरिंग गाड़ और तल्ला धुम्मर में तटबंध निर्माण किये जाने,

115. भदेली, मदकोट, शेरा, शेराघाट, बंगापानी, घरूड़ी, मनकोट, मोरी लम्ती, चामी, जौलजीवी, घट्टा बगड़, बलुवाकोट, धारचूला, गर्बियांग, तेम, सोबला, बांसबकड़, नाचनी, रसियाबगड़, रूसपट्टा, तेजम में तटबंधों का निर्माण किये जाने,

116. पूर्ववर्ती सरकारों में उच्चीकृत समस्त विद्यालयों में पठन पाठन को सुचारू किये जाने,

117. पूर्ववर्ती सरकारों में मदकोट व तेजम में उच्चीकृत सामु0स्वा0 केन्द्रों के सुचारू संचालन किये जाने,

118. बसौड़ा से खुन्नी तक सड़क निर्माण कर जोड़ने का कार्य किये जाने,

119. बसौड़ा से कालिका गोठी धूरा सड़क को जोड़ने का कार्य किये जाने,

120. दाखिम से माड़ी धामी होते हुए आलम दारमा, बंगापानी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

121. गौना से गोल्फा मोतीछाट सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

122. बलुवाकोट पोखरी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

123. मूर्ति नापड़ से सीढ़ी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

124. होकरा में क्रीड़ा स्थल निर्माण कार्य किये जाने,

125. सैणरांथी-किमखेत के मध्य क्रीड़ा स्थल निर्माण कार्य किये जाने,

11. श्री खुशाल सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया हैः-

1. ग्राम सुतेड़ा से ग्राम जमरेड़ी कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,
2. सरयू पेयजल योजना का उल्लेख किये जाने,
3. रीठा साहिब में डिग्री कालेज का निर्माण कार्य किये जाने,
4. बाराकोट में डिग्री कालेज का निर्माण कार्य किये जाने,
5. बाराकोट में गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य किये जाने,
6. ग्राम सभा खतेड़ा व गंगनौला में पेयजल योजना का निर्माण कार्य किये जाने,
7. केदारथान से चमतौला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,
8. ग्राम सभा चौड़ासेन से पुनौला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,
9. खुनाबोरा में पेयजल योजना बनाये जाने,
10. पम्दा(बाराकोट) में पेयजल योजना बनाये जाने,
11. रैगांव(बाराकोट) पेयजल योजना बनाये जाने,
12. गरसलेख से बौसवस्वाड़ी(पाटी) सड़क निर्माण किये,
13. पटनगांव व शिव मंदिर से पटनगांव सम्पर्क मार्ग निर्मित किये जाने,
14. डुंगरी तोक (चौड़ाकोट ग्राम सभा) में सड़क निर्माण किये जाने,
15. बाराकोट ग्राम सभा में आन्तरिक सड़क मार्ग निर्मित किये जाने।

12.श्री मयूख महर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद पिथौरागढ़ में मेडिकल कालेज का कार्य तत्काल आरम्भ किये जाने,
2. जनपद पिथौरागढ़ में बेस हॉस्पिटल का शीघ्र संचालित किये जाने,
3. जनपद पिथौरागढ़ में नर्सिंग कालेज के भवन में कक्षाएं शीघ्रतिशीघ्र संचालन किये जाने,
4. जनपद पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कालेज का निर्माण कार्य तत्काल आरम्भ किये जाने,
5. जनपद पिथौरागढ़ में ई-लाईब्रेरी तत्काल खोले जाने,
6. जनपद पिथौरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्र गुरेड़ा में ओखलनिया तोक व शेर सल्ला गुरना से लिफ्टिंग की पेयजल व्यवस्था किये जाने,
7. टनकपुर, जौलीजीवी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
8. जल जीवन मिशन के तहत सभी गांवों में पानी के स्रोतो की व्यवस्था किये जाने,
9. ग्राम सुवाकोट में स्थानीय सैनय प्रशासन द्वारा ध्वस्त की गई पेयजल टंकी का पुर्ननिर्माण किये जाने,
10. जनपद पिथौरागढ़ के महिला अस्पताल में चिकित्सा एवं प्रसव की उचित व्यवस्था किये जाने,
11. जनपद पिथौरागढ़ के महिला चिकित्सालय का उच्चीकरण कर सुविधाएं प्रदान किये जाने,
12. जनपद पिथौरागढ़ में छात्रों के हितों के दृष्टिगत यू0पी0एस0सी0 परीक्षा केन्द्र खोले जाने,
13. जनपद पिथौरागढ़ की नैनी सैनी हवाई पट्टी से तत्काल हवाई सेवा प्रारम्भ किये जाने,
14. जनपद पिथौरागढ़ में एस0आई0टी0 इंजीनियरिंग कालेज का भवन मढ़धूरा में बनाये जाने,
15. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिथौरागढ़ के बड़कालेख नामक स्थान पर पैरा ग्लाईड़िग सेंटर खोले जाने,
16. जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक असुरचूला तक रोपवे का निर्माण किये जाने,
17. जनपद पिथौरागढ़ में बढ़ते अपराधों को देखते हुए समस्त शहर में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने,
18. जनपद पिथौरागढ़ में पर्यटन को देखते हुए रई में वाटर स्पोर्टस सेंटर खोले जाने,

19. जनपद पिथौरागढ़ मे चण्ड़ाक डोल से डोगराधारी को जोड़ने वाले मोटर मार्ग का अवशेष कार्य पूर्ण किये जाने,
20. बहुप्रतिक्षित पिथौरागढ़ आंवलाघाट गंगोलीहाट मोटर मार्ग के आंवला घाट में पुल सहित मोटर मार्ग का कार्य पूर्ण किये जाने,
21. जनपद पिथौरागढ़ के अंदर चन्द्रभागा नामक स्थान से हुणेती तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
22. शहर की बढ़ती आबादी की ठुलीगाढ़ पेयजल योजना को पुनः चालू किये जाने,
23. बड़ाबे-तोली मोटर मार्ग को शीघ्र सिलिग्याकौल होते हुए झांझर चिंगरी से जोड़े जाने,
24. जनपद पिथौरागढ़ से देहरादून हवाई सेवा में प्रतिदिन दो अथवा तीन बार संचालित किये जाने,
25. जनपद पिथौरागढ़ में घाट से पिथौरागढ़ तक बने ऑल वैदर रोड़ के निर्माण के दौरान किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान किये जाने,
26. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र के अंतगर्त अनेकों मोटर मार्गों के निर्माण में प्रयुक्त भूमि का कृषकों को भुगतान किये जाने,
27. जनपद पिथौरागढ़ में प्राधिकरण की व्यवस्था को निरस्त किये जाने।

13. श्री मनोज तिवारी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. विधान सभा अल्मोड़ा में उप क्षेत्रीय विज्ञान पार्क में शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने
2. अल्मोड़ा विधान सभा के लोधिया में फूड क्राफ्ट इनस्ट्टियूट का निर्माण कार्य पूर्ण करके कक्षाओं का संचालन किये जाने,
3. अल्मोड़ा में स्पोर्टस कालेज स्वीकृत किये जाने,
4. जनपद अल्मोड़ा विधान में पर्यटन को बढ़ाने की दृष्टि से रोप-वे की स्वीकृति दिये जाने,
5. अल्मोड़ा विधान सभा में इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत किये जाने,
6. अल्मोड़ा विधान सभा को हैरिटेज सीटी घोषित किये जाने,
7. अल्मोड़ा विधान सभा का विस्तार होने के कारण सिटी बस तत्काल संचालित किये जाने,
8. अल्मोड़ा विधान सभा के विकास खण्ड भैसियाछाना के रीठागाड़ में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति दिये जाने,
9. अल्मोड़ा विधान सभा के बाड़ेछीना में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण किये जाने,

10. अल्मोड़ा विधान सभा के विकासखण्ड लमगड़ा के ग्राम ढौरा में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
11. अल्मोड़ा विधान सभा के विकासखण्ड भैसियाछाना के धौलाछीना में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
12. अल्मोड़ा विधान सभा के विकास खण्ड भैसियाछाना के बाड़ेछीना में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
13. अल्मोड़ा विधान सभा के हवालबाग ब्लाक के समीप मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
14. अल्मोड़ा विधान सभा के हवालबाग क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु मिनी उद्योग का निर्माण किये जाने,
15. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तग्रत समस्त आई0टी0आई0 संस्थान को मैदान क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के साथ समन्यवय करतु हुए संचालित किये जाने,
16. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड भैसियाछाना के बाड़ेछीना पॉलिटेंक्निक नई कक्षायें संचालित की जाय और तत्काकल भवन का निर्माण किये जाने,
17. अल्मोड़ा विधान सभा के आई0टी0आई0 धौलछीना नये ट्रेड खोले जाने,
18. अल्मोड़ा विधान सभा के कसारदेवी को पर्यर्टन के साथ-साथ आध्यात्मिक केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने,
19. अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में योग शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु योग संस्थान की स्थापना किये जाने,
20. अल्मोड़ा विधान सभा उदया शंकर नाट्य आकादमी को पूर्णरूप से संचालित किये जाने,

14. श्री विक्रम सिंह नेगी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तगर्त फिकवाल समुदाय को केन्द्रीय अन्य पिछ्डा वर्ग की सूची में सम्मिलित किये जाने,
2. जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में स्वीकृत राजीय गांधी आवासीय विद्यालय को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने व संचालन प्रारम्भ किये जाने,
3. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जाख से डोबरापुल से लम्बगांव सड़क को डबल लेन चौड़ीकरण एवं हाटमिक्स डामरीकरण किये जाने,
4. हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखण्ड में भी सख्त भू- कानून लागू किये जाने,
5. जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर को अन्तर्गत जखिण्डा में 1100 नाजी भूमि पर स्वीकृ वानिकी औद्योनिक विश्वविद्यालय के परिसर का भवन निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण किये जाने,

6. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत प्रतापनगर में वानिकी औद्यानिकी विश्वविद्यालय के शोध प्रसार केन्द्र के भवन एवं निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण किये जाने,
7. जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत उत्तरद्वारिका सेम नागराजा धाम के पैदल पथ पर कैनोपी निर्माण एवं पर्यटन विकास कार्य करने के साभ सेम नागराजा धाम को उत्तराखण्ड का पांचता धाम बनाये जाने,
8. टिहरी बांध की झील में विश्वस्तरीय पर्यटन विकास कार्य किये जाने,
9. टिररी बांध झील से अतितम प्रभावित प्रतापनगर विधान सभा में झील के ऊपर स्थित ग्राम म्यूण्डा से मोटणा तक पर्यटन विकास कार्य किये जाने,
10. प्रतापनगर विधान सभा के अन्तर्गत प्रसिद्ध खैट पर्वत हेतु रोपवे निर्माण किये जाने,
11. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत राजखेत, लम्बगांव एवं खेतुधार में हैलीपैड निर्माण किये जाने,
12. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के ग्राम पाचरी, पड़िया एवं सेमण्डीधार में अर्द्वनिर्मित स्टेडियमों के लिये शेष धनराशि स्वीकृत किये जाने,
13. प्रतापनगर विधान सभा के वाल्खाखाल से ठांगधार तक सड़क निर्माण किये जाने,
14. प्रतापनगर विधान सभा के गुनोगी से नैलबागी तक सड़क का निर्माण किये जाने,
15. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत जीटीपी सड़क से जखिण्डा तक सड़क निर्माण के लिए शेष धनराशि का आवंटन किये जाने,
16. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत ग्राम म्यूण्डा से मय लवाली तक सड़क के रिवाईज स्टीमेट की स्वीकति दिये जाने,
17. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रिण्डोल से धारकोट वाली सड़क का डामरीकरण किये जाने,
18. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव-बिजपुर परियाला सड़क के काण्डा-जिवाल (रावतगांव) तक सड़क निर्माण किये जाने,
19. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मांजफ-मंदार सड़क का डामरीकरण किये जाने,
20. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मुखमालगांव-सिलोड़ा-सौंदी सड़क निर्माण किये जाने,
21. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खराला से धंगणगांव तक सड़क निर्माण किये जाने,
22. विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रैका से सदड़गांव तक सड़क निर्माण कराये जाने,

23. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खम्बाखाल-मुखमालगांव-सिलोड़ा सड़क निर्माण कराये जाने,
24. जगड़गांव पट्टी गमरी उत्तरकाशी से किमखेत-बिजबागी (टि0ग) तक सड़क निर्माण कराये जाने,
25. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सौन्दगडडा से चाका -सिलोड़ सड़क के द्वितीय चरण की स्वीकृति किये जाने,
26. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मणबागी सौड़ से माजरेभाल तक सड़क निर्माण कराये जाय,
27. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रत्नौगाड-क्यूलागी सड़क के किमी0 4 से बोरगांव तक सड़क निर्माण कराया जाय,
28. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत गोदड़ी से थौलधार तक सड़क निर्माण कराये जाने,
29. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव-बिजपुर सड़क बैण्ड से पिपलोगी गांव तक सड़क का द्वितीय चरण स्वीकृत कराये जाने,
30. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कोरदी- जोगथ सड़क से बेथाण तक सड़क निर्माण कराये जाने,
31. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत काण्डा प्रतापनगर सड़क से धनागांव-खुड्डु-राजू की सारी से लाडा देवता तक सड़क निर्माण कराये जाने,
32. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खिट्टा में वानिकी औद्यानिकी विश्वविद्यालय का कृषि ज्ञान केन्द्र स्वीकृत कराये जाने,
33. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव आईटीआई के भवन निर्माण हेतु षेश धनराषि स्वीकृत एवं कक्षायें शुरु कराये जाने,
34. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत पालीटैक्निक काण्डीखाल के भवन निर्माण हेतु शेष धनराशि जारी कराये जाने,
35. विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत स्यान्सू पुल से बैलगांव सड़क का डामरीकरण कराये जाने,
36. विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत डोबरा पुल में स्वीकृत अस्पताल का भवन निर्माण कराये जाने,
37. विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सीएचसी लम्बगांव, सीएचसी प्रतापनगर,सीएचसी छेरपरधार, सीएचसी मदननेगी,एवं रजाखेत, सेमण्डीधार,काण्डीखाल एवं डोबरा अस्पताल में अल्ट्रासउण्ड एक्सरे, पैथालोजी लैब सुविधा के साथ टैक्निषियान, स्वास्थ्य कर्मी, एवं डाक्टरों से सुविधायुक्त अस्पताल बनाने,
38. विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सभी स्कूलो एवं कालेजों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदो को शीघ्र भरने,

39. विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव - प्रतापनगर सड़क पर स्थित जनसंख्या बाहुल्य कस्बे रमोलगांव, मांजफ, बनाली धारकोट में मल्टीस्टोरी पार्किंग का निर्माण कराये जाने,
40. विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत ढुग-पुजारगांव सड़क का निर्माण कराये जाने,
41. विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कस्तल- भटवाड़ा- सेमण्डीधार तक सड़क निर्माण कराये जाने,
42. विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मंदार-मांजफ सड़क से देवताधार-दुगड़िया-भेगल्थ तक सड़क निर्माण कराये जाने,
43. विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मन्दार घोल्डाणी सड़क का डामरीकरण कराये जाने,
44. विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत राइका मन्दार के सड़क का निर्माण कराये जाने,
45. विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत घोल्डाणी में मोबाईल टावर निर्माण कराये जाने,
46. कर्मचारियों के हित में पुरानी पेषन योजना लागू कराये जाने,
47. उत्तरखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए हेतु नियम सुलभ करने एवं अधिक सब्सीडी प्रदान कराये जाने,
48. उत्तराखण्ड में लोक निर्माण विभाग से कार्यरत निजी ठेकेदारों के मध्यम से आउटसोर्स किये गये कर्मियों को सविंदा उपनल/हैण्ड रशीद के माध्यम से सेवायोजित कराये जाने,
49. प्रतापनगर विधानसभा के अन्तर्गत मांजफ-मंदार कोटालगांव- तिनवालगांव लासी-सेम्य चौन्दाणा-खैट सड़क का लम्बित मुआवजा भुगतान किये जाने,
50. प्रतापनगर विधानसभा के अर्न्तगत तहसील मुख्यालय से नई टिहरी जिला मुख्यालय तक बस सेवा शुरू कराये जाने,
51. प्रतापनगर विधानसभा के अन्तर्गत पेयजल सुविधा हेतु स्रोतो को पुनर्जीवित करने हेतु ठोस कार्य योजना बनाने,
52. प्रतापनगर विधानसभा के अन्तर्गत उपली रमोली एवं रैणद रमोली के मध्य विद्युत सब स्टेशन बनाने,
53. उत्तराखण्ड प्रदेश में स्थायी एवं सविंदा कर्मियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने।

15. इंजी0 रवि बहादुर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया हैः-

1. जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा में कोई भी सरकारी बैंक नहीं है सरकारी बैंकों को खोले जाने,
2. ज्वालापुर विधान सभा में सरकारी डिग्री कालेज का निमार्ण किये जाने,
3. ज्वालापुर विधान सभा के समस्त क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य किये जाने,
4. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के नदियों में होने वाले कटान को रोकने के लिए तटबन्ध का निर्माण कार्य किये जाने,
5. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के क्षतिग्रस्त भवनों का निर्माण कार्य किया जाय एवं नए स्कूल खोले जाय, सैकेण्ड्री प्राइमरी स्कूलों का उच्चीकरण किये जाने,
6. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पानी की टंकियों को निर्माण किये जाने,
7. ज्वालापुर विधान सभा में अधिकतम आबादी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से लगते हुए गांवों में सोलर लाईट की व्यवस्था किये जाने,
8. ज्वालापुर विधान सभा के समस्त क्षेत्र में जल निकासी के लिए नालों का निर्माण किये जाने,
9. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के किसानों और मजदूरों को 1977 में श्रेणी तीन के पट्टे आवंटित हुए थे जिसको संकरमणी किए जाने।

16. श्रीमती अनुपमा रावत

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया हैः-

1. जनपद हरिद्वार की विधान सभा क्षेत्र 35-हरिद्वार ग्रामीण में दो उच्च राजकीय चिकित्सालय खोले जाने,
2. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में सिडकुल क्षत्र का विस्तारिकरण एवं 70 प्रतिशत स्थानीय नव जवानों को रोजगार दिये जाने,
3. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में कुम्भ क्षेत्र का विस्तारिकरण कर बड़ी सड़कों का निमार्ण किया जाए एवं भोगपुर से कांगड़ी तक पुल का निर्माण किये जाने,
4. विधान सभा क्षेत्र में गंगा नदी पर तटबंधो का निर्माण किये जाने,
5. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण पूर्णरूप से ग्रामीण होने के कारण एक तहसील व एक उप तहसील का निर्माण किये जाने,

6. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में ज्यादातर क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बहुत नुकसान होता है इस हेतु वाउंडरी ताल व तारबाड़ किये जाने,
7. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण में स्ट्रीट लाईट पूर्णरू॰ से लगाई जाने,
8. हरिद्वार ग्रामीण में दो खेल के मैदानों का निर्माण किये जाने,
9. हरिद्वार ग्रामीण में दो कन्या महाविद्यालय एवं दो राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने,
10. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट बूस्टर लगवाये जाने,
11. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में रविदास मंदिर व बाल्मिकी मंदिरों का सौन्दर्यकरण किये जाने,
12. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में बंद पड़े ट्यूबवैल संचालित किये जायं एवं नये ट्यूब वैल निर्माण किये जाने,
13. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में ओवर हेतु टैंक बनाये जाने,
14. हद्विार ग्रामीण क्षेत्र में ट्यूबवैल व बिजली बिल माफ किये जाने,
15. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में लालढ़ांग से कोटाद्वार तक राज्य मार्ग के तर्ज पर सड़क का चौड़ीकरण कर सड़क निर्माण किया जाये व चिल्लरखाल तक बनाये जाने,
16. लालढ़ांग में रवासन नदी पर बड़ा जलाशय का निर्माण किये जाने,
17. गन्ने का प्रति दो सम्ताह में भुगतान किया जायं एवं नये गन्ने खरीद केन्द्र खोले जाने।

17. श्री सरवत करीम असंरी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया हैः-

जनपद हरिद्वार के मंगलैर विधान सभा में किसानों के गन्ने का भुगतान न किये जाने।

18. श्री उमेश शर्मा पत्रकार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया हैः-

1.खादर क्षेत्र के अन्तर्गत एक ओर गंगा नदी व दूसरी ओर सोलानी नदी पर तटबंध बनाये जाने,

2. दल्लावाला से रूड़की तक उत्तराखण्ड राज्य परिवहन की बसों का संचालन किये जाने,

3. खानपुर के खादर क्षेत्र में अति आधुनिक अस्पताल बनाये जाने,

4. खानपुर क्षेत्र में सिडकुल की स्थापना त्वरित तौर पर किये जाने,
5. ढंडेरा, लंढौरा, मिलापनगर व मोहनपुरा मे पानी की निकासी का समाधान किये जाने,
6. खानपुर क्षेत्र के लंढौरा में डिग्री कालेज का निर्माण कराये जाने,
7. आर्मी का गेट समय पर ना खुलने से दुर्गा कालोनी, भगेड़ी, जलालपुर आदि की लगभग 7000 की प्रभावित आबादी हेतु तत्काल रास्ता खुलवाये जाने।